प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 4285/2004

याचिकाकर्ता - पदुम दास, पिता महंग दास, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी—ग्राम मुरकुटा, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, द्वारा सदस्य-न्यायाधीश , बिलासपुर।

2. अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर (छ.ग.)।

3. अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.ओ.), बिलासपुर (छ.ग.)।

4. तहसीलदार, बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

5. संतन दास, पिता पिल्लू दास, आयु 29 वर्ष, निवासी —ग्राम चुराघाट, तहसील बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

उपस्थित:-

श्री आई.एस. साहू, अधिवक्ता — याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री सतीश गुप्ता, उप शासकीय अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 2, 3 एवं 4 की ओर से।

श्री गौतम खेत्रपाल, अधिवक्ता — उत्तरवादी क्रमांक 5 की ओर से।

आदेश

(दिनांक 23 अप्रैल, 2007)

1. याचिकाकर्ता को दिनांक 8.3.2002 के आदेश द्वारा ग्राम-मुरकुटा के अस्थायी कोटवार के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की अस्थायी कोटवार के रूप में नियुक्ति के दौरान, ग्राम सभा ने उत्तरवादी क्रमांक 5 को ग्राम-मुरकुटा के स्थायी कोटवार के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया। म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (इसके बाद "संहिता, 1959" के रूप में संदर्भित) की धारा 230, कोटवारों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों का प्रावधान करती है। कोटवारों की नियुक्ति, दंड और निष्कासन तथा उनके कर्तव्यों से संबंधित नियमों के नियम 4 (1) (इसके बाद "नियम" के रूप में संदर्भित) यह प्रावधान करते हैं कि राजस्व अधिकारी, उस ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पारित प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद कोटवार नियुक्त करने के लिए सक्षम है, जिसके क्षेत्र में कोटवार का पद रिक्त है। वर्तमान मामले में, उत्तरवादी क्रमांक 5 की नियुक्ति स्वीकार्य रूप से ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पारित प्रस्ताव के आधार पर नहीं, बल्कि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर की गई थी, जो कि नियमों के प्रावधान के विपरीत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने तहसीलदार, बिल्हा, जिला बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.5.2002 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर के समक्ष एक अपील, प्रकरण क्रमांक 19-A-56-2001-02, प्रस्तुत किया था। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 30.11.2002 (अनुलग्नक पी./3) के माध्यम से मामले को इस आधार पर प्रतिप्रेषित कर दिया कि निचले अधिकारी ने उत्तरवादी क्रमांक 5 को स्थायी कोटवार नियुक्त करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया था। हालाँकि, अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर/उत्तरवादी क्रमांक 3 ने यह धारित किया कि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव उचित है।

3. अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2002 के विरुद्ध, उत्तरवादी क्रमांक 5 ने अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर/उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष एक पुनरीक्षण, प्रकरण क्रमांक 11/A-56/02-03, दायर किया, जिसमें अतिरिक्त कलेक्टर ने आदेश दिनांक 29.9.2003 (अनुलग्नक पी./4) के माध्यम से अन्य बिंदुओं पर पुनरीक्षण स्वीकार कर लिया, लेकिन ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर आधारित नियुक्ति के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के निष्कर्ष की पुष्टि की।

4. अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.9.2003 के विरुद्ध, याचिकाकर्ता ने राजस्व मंडल, बिलासपुर के समक्ष एक अपील, राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 22/A-56/2003-04, दायर की थी, जिसमें राजस्व मंडल ने आदेश दिनांक 13.10.2004 (अनुलग्नक पी./6) के माध्यम से अतिरिक्त कलेक्टर के इस निष्कर्ष को यथावत रखा कि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव सही था और अपील को खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. निचले प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों से व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है।

6. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिवचनों तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है। निचले प्राधिकारियों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गंभीर त्रुटि की है कि उत्तरवादी क्रमांक 5 को कोटवार नियुक्त करने के लिए ग्राम सभा द्वारा विधिवत पारित प्रस्ताव न्यायसंगत और उचित था, और उक्त प्रस्ताव के आधार पर की गई नियुक्ति कानूनी और वैध थी।

7. नियमों के नियम 4 को उद्धृत करना लाभप्रद होगा, जो इस प्रकार है:-

> "4. [(1) कोटवार के पद पर रिक्ति होने पर, नियुक्ति करने के लिए अधिकार प्राप्त राजस्व अधिकारी, उस ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पारित प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात, जिसके क्षेत्र में कोटवार का पद रिक्त है, कोटवार के पद पर एक पात्र व्यक्ति की नियुक्ति करेगा; यदि प्रस्ताव में प्रस्तावित व्यक्ति नियम 2 में

निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करता है, तो अधिकृत राजस्व अधिकारी लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा और ग्राम सभा को सूचित करेगा तथा नया प्रस्ताव आमंत्रित करेगा:

परंतु यह, कि रिक्ति होने के तुरंत बाद, नियुक्ति प्राधिकारी उप-नियम (1) के तहत नियमित नियुक्ति होने तक कोटवार के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है।]

XX XX XX XX

8. मध्य प्रदेश राज्य ने अधिसूचना दिनांक 20.11.2001 द्वारा "ग्राम पंचायत" शब्द को "ग्राम सभा" से प्रतिस्थापित कर दिया था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के मामले में यह लागू नहीं होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य 1.11.2000 से अस्तित्व में आया था और 1.11.2000 से पहले म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत बनाए गए सभी नियमों को यथावत अपनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा नियम 4 में बाद में किया गया संशोधन स्वीकार्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू नहीं होता है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ राज्य का संबंध है, ऊपर बताए अनुसार पुराना नियम 4 ही लागू है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. नियमों के नियम 4 का प्रावधान इतना स्पष्ट है कि इसमें किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या भ्रम की गुंजाइश नहीं है। कोटवार के पद पर नियुक्ति राजस्व अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पारित प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद की जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, प्रस्ताव ग्राम-मुरकुटा की ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया था।

10. अतः, यह याचिका स्वीकार की जाती है और तहसीलदार, बिल्हा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.5.2002 (अनुलग्नक पी./2) को आरंभतः शून्य माना जाता है और तत्पश्चात, निचले प्राधिकारियों द्वारा पुष्टि किए गए आदेश भी दूषित पाए जाते हैं और तदनुसार उन्हें अभिखण्डित किया जाता है। ग्राम पंचायत, ग्राम-मुरकुटा विधि के अनुसार यथाशीघ्र स्थायी कोटवार की नियुक्ति के लिए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है।

11. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur